भाग तीन
निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

9.1 निष्कर्ष

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों के लिए ₹6,439 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की और इन राज्यों में वर्ष 2012-17 में कुल 135.96 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया।

इस योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में खराब योजना का पता चला क्योंकि राज्यों के पास, न तो पात्र विद्यार्थियों का कोई डाटाबेस था और न ही लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का निर्धारण करने तथा उनका समय पर कवरेज करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार थी। परिणामत: पात्र सतत लाभार्थियों और नए उम्मीदवारों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका और इस कमी का एक परिणाम अपर्याप्त बजट था जिसके कारण छात्रवृत्ति प्रदान करने में देरी हुई और कई पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए मना करना पड़ा।

इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण अंतराल थे जो कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन को कम कर देते थे। योजना दिशानिर्देशों ने छात्रवृत्ति तैयार करने, संस्वीकृति और वितरण के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए एक से छह वर्ष तक के विलंब से महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 18.58 लाख छात्रों को भुगतान किया गया। राज्यों ने मंत्रालय को समय पर केंद्रीय सहायता की मांग के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सहायता की अपर्याप्त या आंशिक मांग की गई। योजना दिशानिर्देशों में इस योजना के उद्देश्य की उपलब्धि की सीमा का आकलन करने के लिए प्रावधान नहीं थे, अर्थात् छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद उन लाभार्थियों की संख्या जिन्होंने शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

मंत्रालय द्वारा निधि का निरन्तर अल्प निर्गम जारी था, जिसके परिणामस्वरूप पांच चयनित राज्यों से संबंधित ₹5,368 करोड़ (71 प्रतिशत) बकाया का संचयन हो गया था। 2012-17 के दौरान, खराब वित्तीय प्रबंधन महाराष्ट्र में ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के रखरखाव के लिए और कर्नाटक में योजना दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेशनरी कम्प्यूटर परिधीय आदि की खरीद हेतु ₹28.94 करोड़ विपथित किए गए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ₹375.30 करोड़ की अवितरित छात्रवृत्ति निधि भी उपलब्ध थी।

राज्यों में योजना के खराब कार्यान्वयन ने योजना दिशानिर्देशों और मानदंड का अनुपालन न करना, पात्र लाभार्थियों के संक्षिप्त कवरेज, पात्र लाभार्थियों के कवरेज से इनकार करने, छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति की कमी/अस्वीकृति, छात्रवृत्ति के दावों की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति, अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब दर्शाया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 से ₹2.50 लाख की अधिकतम सीमा तक संशोधित आय की सीमा का पालन नहीं किया और ₹2 लाख की पूर्व सीमा के अनुसार देना जारी रखा और जिससे अन्यथा पात्र लाभर्थियों को छोड़ दिया गया।

तकनीकी मामलों के कारण मंत्रालय पीएमएस-एससी को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लागू करने में असमर्थ था और राज्य पोर्टल के माध्यम से इसे लागू किया गया था। राज्य पोर्टल्स में पहुंच सुरक्षा सुनिश्चित करने और लेनदेन मान्य, अधिकृत, पूर्ण और सटीक हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दोनों सामान्य और एप्लिकेशन नियंत्रणों की कमी थी। पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा में ₹455.98 करोड़ के वित्तीय विवक्षा के साथ राज्य पोर्टलों द्वारा तैयार आंकड़ों में अंतर पाया गया था, जिसे अनियमित भुगतान और अपकरण के जोखिम को दूर करने के लिए मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

यह योजना 1944 से अस्तित्व में आने के बावजूद, मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में प्रभावकारी मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं किया। उत्तर प्रदेश, जहाँ ये त्रुटिपूर्ण होना पाया गया, के अलावा सभी नमूना जांच किए गए राज्यों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। मंत्रालय ने, राज्यों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं किया। राज्यों में शैक्षिक संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण या तो किया नहीं गया या त्रुटिपूर्ण था। मंत्रालय तथा राज्य/जिला स्तर दोनों पर शिकायत निवारण क्रियातंत्र भी त्रुटिपूर्ण था।

9.2 अनुशंसाएँ

उपर्युक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को देखते हुए और योजना के निधियों और अनियमित भुगतानों के दुरुपयोग के स्पष्ट जोखिम को देखते हुए, यह आवश्यक है कि मंत्रालय को इन्हें सख्ती से पालन करने और अधिकारियों के कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों के साथ-साथ संस्थान उपायों की समीक्षा करनी चाहिए जिससे योजना के निहित लाभ पात्र लाभार्थियों तक सार्थक तरीके से पहुंचे। इस संदर्भ में, हम निम्नानुसार अनुशंसा करते हैं:

(i) मंत्रालय पात्र छात्रों/लाभार्थियों के कवरेज के लिए वार्षिक कार्यवाई योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है, जिसे सहायता की मांग के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(ii) मंत्रालय को राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता हेतु अपनी मांग प्रस्तुत करने और छात्रवृत्ति के प्रसंस्करण, स्वीकृति और वितरण को पूरा करने के लिए सांकेतिक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए;

(iii) योजना के कार्यान्वयन के लिए आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ-साथ भुगतान और प्रतिपूर्ति सहित राज्यों को उनकी मॉनीटरिंग और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा जाए;

(iv) मंत्रालय को योजना के लाभ पात्र छात्रों को जारी करने में देरी करना या जारी न करने के साथ-साथ अनुचित धनराशि जारी करने के लिए अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(v) मंत्रालय अवैध आवेदनों को स्वीकृति देने की संभावना को दूर करने के लिए मौजूदा सक्षम और अन्य वेब पोर्टल्स की समीक्षा कर सकता है; तथा

(vi) नमूना जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए छात्रवृत्ति के अनियमित भुगतान के उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय को इसी तरह के अनियमित भुगतानों या अपकरण के जोखिम से बचने के लिए ऐसे सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 24 अप्रैल 2018

(ममता कुन्द्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय, व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 26 अप्रैल 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक